

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 1978/फाल्गुन 19, 1899
No. 78] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 1978/PHALGUNA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1978

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 169(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम
173 के उपनिषम (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/78-के. उ. तारीख
25 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में :—

- (i) स्तम्भ (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“33.

34.” ;

- (ii) स्तम्भ (2) में, अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“11 घ

11 ङ”.

[सं. 80/78 के. ड./फा. सं. 227/1/78 एस. आर. पी. (के. ड.)]

एन. सी. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th March, 1978

NOTIFICATION

Central Excises

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/78-C. E. dated the 25th January, 1978, namely :—

In the said notification, in the table,—

- (i) in column (1), the following entries shall be inserted at the end, namely :—

“33.

34.” ;

- (ii) in column (2), the following entries shall be inserted at the end, namely :—

“11D

11E”.

[No. 80/78-CE/F. No. 227/1/78-SRP(CX)]

N. C. JAIN, Under Secy.